



**Office of the District Basic Education Officer
BIJNOR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GOLDEN BELLS INTERNATIONAL SCHOOL, KADRABAD KHURD BLOCK BUDHANPUR** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to GOLDEN BELLS INTERNATIONAL SCHOOL is **25576-81**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

25-06-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

25576-81

DATE:- 25-06-2022

PLACE:- BIJNOR

District Basic Education Officer

Digitally signed by JAY KARAN YADAV
Date: 2022.06.25 18:43:50
Reason: For Digital Signature
Location: BIJNOR

Gurinder K
Manager
Golden Bells International School
Kadrabad Khurd, Block-Budhanpur
Seohara (Bijnor)

Principal
Principal
Golden Bells International School
Thakurdwara Road, Seohara (Bijnor)

प्रश्नक

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में

प्रबंधक

गोल्डन बेल्स इंटरनेशनल स्कूल, कादशबाद खुर्द, ब्लॉक-बुढ़नुपर
जनपद-बिजनौर। 25576-81

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक 23/03/2021

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं गोल्डन बेल्स इंटरनेशनल स्कूल, कादशबाद खुर्द, ब्लॉक-बुढ़नुपर(बिजनौर) को दिनांक 1-4-2021 से दि. 31-3-2022 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपर्युक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पुरा किए जाने के अधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 - विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा-6 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपेडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
 - विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 - विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-1766.85 वर्ग मीटर
 - कुल निर्मित क्षेत्र-458.30 वर्ग मीटर
 - कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-1308.55 वर्ग मीटर
 - कक्षाओं की संख्या-05
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्षा-06
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
 - जल सुविधा-उपलब्ध है।
 - डे-मिल पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
 - बाधा रहित पहुँच-है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

Golden Bells International School

Kadambal Khurd, Block-Budhanpur

Seohara, District-Bijnor

Golden Bells International School

Kadambal Khurd, Block-Budhanpur

Seohara, District-Bijnor

Golden Bells International School

Kadambal Khurd, Block-Budhanpur

Seohara, District-Bijnor

Golden Bells International School

Kadambal Khurd, Block-Budhanpur

Seohara, District-Bijnor

- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 विद्यालय में अकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- 18 विद्यालय में सभी वर्ग/धर्म/जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 19 विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20 विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 21 विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
- 22 विद्यालय प्रबन्धनकर्ता को यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त विद्यालय/शैक्षिक संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त अद्यावधिक एवं कियाशील होने और भवन के पठन-पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में संक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में विद्यालय/शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 23 विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार यू-डायसन से संबंधित सूचनाये/आकड़े भरना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(महेश चन्द)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

प्र0सं0बेसिक/

/2020-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

3-मण्डलीय सहायक, शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला जनपद-बिजनौर।

5-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर/विकास क्षेत्र जनपद-बिजनौर।

Golden Bells International School
पिछड़ा, वर्ग कल्याण अधिकारी
Thakurdwara Road, Seohara (Bijnor)

Manager
Golden Bells International School

Kadradab Khurd, Block-Kadradab
Seohara (Bijnor)

Manager
Golden Bells International School

Kadradab Khurd, Block-Kadradab
Seohara (Bijnor)

Principal

Golden Bells International School
Kadradab Khurd Block Budhanpur
Seohara (Bijnor)



**Office of the District Basic Education Officer
BIJNOR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GOLDEN BELLS INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL, KADRABAD KHURD SEOHARA** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to GOLDEN BELLS INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL is **271-76**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

17-06-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

271-76

DATE:- 17-06-2022

PLACE:- BIJNOR

District Basic Education Officer

Digitally signed by JAY KARAN YADAV
Date: 2022.06.17 18:02:36
Reason: For Digital Signature
Location: BIJNOR

Hervinder L
Manager

Golden Bells International School
Kadrabad Khurd, Block-Budhanpur
Seohara (Bijnor)

[Signature]
Principal

Golden Bells International School
Thakurdwara Road, Seohara (Bijnor)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक

गोल्डन बेल्स इण्टरनेशनल प्रा०स्कूल, कादराबाद खुर्द, ब्लाक-बुढ़नुपर
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक:बेसिक/मान्यता/ 27-76 /2020-21

दिनांक 26/05/2020

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं गोल्डन बेल्स इण्टरनेशनल प्रा०स्कूल, कादराबाद खुर्द, ब्लाक-बुढ़नुपर(बिजनौर) को दिनांक 1-4-2020 से दि० 31-3-2021 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-1466.00 वर्ग मीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र-भूतल-490.81 वर्ग मीटर
- कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-850 वर्ग मीटर
- कक्षाओं की संख्या-05

- (5) प्रख्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष-05
- (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
- (7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
- (8) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
- (9) वाधा रहित पहुँच-है।

- (10) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
- 14 प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....05..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 विद्यालय में अंकों के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- 18 विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 19 विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20 विद्यालय की भूमि/भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 21 विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 22 विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।

Maninder L
Manager

Golden Bells International School
Kadradbad Khurd, Block-Budhanpur
Seohara (Bijnor) / 2020-21 तददिनांक।

पू0सं0बेसिक/ 271-76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 2-सचिव, उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुसादाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 5-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर/विकास क्षेत्र, जनपद-बिजनौर।

Maninder L
Manager

Golden Bells International School
Kadradbad Khurd, Block-Budhanpur
Seohara (Bijnor)

भवदीय

27/2/20

(महेश चन्द्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

Principal

Golden Bells International School
Thakurdwara Road, Seohara (Bijnor)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

27/2/20
Golden Bells International School
Kadradbad Khurd Block Budhanpur
Seohara (Bijnor)